



2026:AHC:176417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 8386 वर्ष 2026

तारण चौहान उर्फ चीकू

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बिपिन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., शाम्भवी नंदन

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री बिपिन शुक्ला, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री शाम्भवी नंदन और राज्य की ओर से विद्वान् एजीए श्री बी.पी. सिंह के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 466/2024 (पुलिस थाना सेक्टर 49, ज़िला गौतम बुद्ध नगर) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है। यह मामला भादं.सं की धाराओं 504, 354C, 509, 506, 376(3), 384, पोक्सो अधिनियम की धारा 5(1)/6 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि आवेदक 26.11.2024 से जेल में है, अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों से पूछताछ हो चुकी है और दंप्रसं की धारा 313 / बीएनएसएस की धारा 351 के तहत आवेदक का बयान दर्ज किया जा चुका है। साथ ही, यह भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कहा गया है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है और आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि वह अपने बचाव में साक्षी पेश कर सके। आवेदक के अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समान पीठ द्वारा आशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और उससे जुड़ी ज़मानत प्रार्थना-पत्रों के मामले में 14.10.2025 को दिए गए आदेश का हवाला दिया है। उस आदेश में, समान पीठ ने कई फैसलों का ज़िक्र करते हुए कहा था कि आरोपी को दंप्रसं की धारा 313 / बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने के बाद भी ज़मानत दी जा सकती है, ताकि वह अपने बचाव में साक्षी पेश कर सके। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 26.11.2024 से जेल में बंद है; अगर उसे ज़मानत मिलती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता और एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का ज़ोरदार विरोध किया है और उनका कहना है कि आवेदक ने बचाव पक्ष के साक्षियों की कोई सूची नहीं दी है।

5. विचारण न्यायालय की आख्या के अनुसार, अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों से पूछताछ हो चुकी है और आवेदक का बयान दंप्रसं की धारा 313 / बीएनएसएस की धारा 351 के तहत दर्ज किया जा चुका है। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है और आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि वह अपने बचाव में साक्षी पेश कर सके। आवेदक के अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समान पीठ द्वारा आशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और उससे जुड़ी ज़मानत प्रार्थना-पत्रों के मामले में 14.10.2025 को दिए गए आदेश का हवाला दिया है। उस आदेश में, समान पीठ ने कई फैसलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि आरोपी को दंप्रसं की धारा 313 / बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने के बाद भी ज़मानत दी जा सकती है, ताकि वह अपने बचाव में साक्षी पेश कर सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 26.11.2024 से जेल में बंद है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले और



माया तिवारी बनाम उग्र राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765 मामले में इस न्यायालय की ज़मानत देने से जुड़े दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. इसलिए, यह प्रार्थना-पत्र **स्वीकार किया जाता है।**

8. उक्त अपराध में शामिल आवेदक - **तरुण चौहान उर्फ चीकू** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो भारी ज़मानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत निरस्त करने का आधार माना जाएगा।

10. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और ज़मानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का भी सत्यापन किया जाना चाहिए।

11. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रतिलिपि गौतम बुद्ध नगर के **जेल अधीक्षक** के ज़रिए आवेदक को 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-प्रिजन पोर्टल से भेजे। यह निर्देश ज़मानत देने की नीति रणनीति मामले स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रि.) संख्या 4/2021,



निर्णय 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में दर्ज, मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में दिया जा रहा है।

13. संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण को जल्द से जल्द, और बेहतर होगा कि तीन महीने के भीतर, पूरा करे; साथ ही आवेदक को भी निर्देश दिया जाता है कि वह तीन महीने के भीतर अपना बचाव पक्ष पेश करे।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अगस्त 20, 2026

आरकेएम